रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LTD

भारत सरकार का उद्यम A Government of India Enterprise

Regd. Office Core-4 SCOPE Complex 7 Lodi Road New Delhi 110003
Tele 24365161 & 41020101 Fax 24360644 Gram RECTRIC
E-mail reccorp@recl.nic.in Website: www.recindia.nic.in

सं.आरईसी/आईटी/टीईएन/140/2009 **दिनांक : 23.03.2010**

सेवा में,

(1) आईटीआई लिमिटेड,
फ्लैट सं.201-202,
रोहित हाउस, 3 टालस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली-110001

(2) राष्ट्रीय आसूचना केंद्र,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
ए-ब्लॉक, सीजीओ कांप्लेक्स
नई दिल्ली-110003

(3) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड,
झालावाड़ रोड,,
कोटा-324005 (राजस्थान)

(5) टीसीआईएल,
टीसीआईएल भवन,
ग्रेटर कैलाश,
नई दिल्ली-110048

(5) सी-डैक,
प्रथम और दूसरी मंजिल,
ई-25, हौज खास मार्किट,
नई दिल्ली-110016

विषयः आरईसी में ई-प्रापण समाधान के लिए खरीद, संस्थापन और कार्यान्वयन हेतु कोटेशन के संबंध में अनुरोध।

प्रिय महोदय,

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम), विद्युत मंत्रालय सीमित टेंडरिंग की प्रक्रिया के माध्यम से ई-प्रापण के लिए खरीद, संस्थापन और कार्यान्वयन करवाना चाहता है। टेंडर दस्तावेज हमारी वेबसाइट www.recindia.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

एतद्द्वारा आपसे अनुरोध है कि आप हमें सरकारी संगठनों को दी जाने वाली सर्वोत्तम दरें दें। इन दरों के मुहरबंद लिफाफे सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, पहली मंजिल, आरईसी लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिए।

कोटेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 07.04.2010 के पूर्वाहन 11.00 बजे है।

भवदीय,

ह./-

पी.के. मुखोपाध्याय

उप-महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

टेंडर संख्या आरईसी/आईटी/ई-प्रापण/2009-10

आरईसी में ई-प्रापण समाधान के लिए खरीद, संस्थापन और कार्यान्वयन हेतु कोटेशन के संबंध में अनुरोध(आरएफक्यू)

(i)	**आरईसी में पूर्व-बोली की तारीख** **समय : 11.00 बजे (भारतीय मानक समय)**	**-**	**31 मार्च, 2010**
(ii)	**कोटेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख** **समय : 11.00 बजे (भारतीय मानक समय)**	**-**	**7 अप्रैल, 2010**
(iii)	**कोटेशन खोलने की तारीख** **समय : 14.30 बजे (भारतीय मानक समय)**	**-**	**7 अप्रैल, 2010**

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LTD
भारत सरकार का उद्यम A Government of India Enterprise
Regd. Office Core-4 SCOPE Complex 7 Lodi Road New Delhi 110003
Tele 24365161 & 41020101 Fax 24360644 Gram RECTRIC
E-mail reccorp@recl.nic.in Website: www.recindia.nic.in

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय : कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
टेंडर दस्तावेज

क) पृष्ठभूमि

I. **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकारी क्षेत्रक एक प्रमुख नवरत्न उपक्रम है। यह कारपोरेशन अपने फील्ड कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में फैला हुआ है। इन फील्ड कार्यालयों में पांच आंचलिक कार्यालय और 18 परियोजना कार्यालय हैं। इसके अलावा, कारपोरेट कार्यालय, दिल्ली, कारपोरेट कार्यालय, स्कंध पालिका भवन, (दिल्ली) में स्थित है और केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान नामक एक प्रशिक्षण केंद्र (सीआईआरई) हैदराबाद में स्थित है। सभी कार्यालयों की सूची कारपोरेशन की वेबसाइट http://www.recindia.gov.in पर देखी जा सकती है।**

II. **यह कारपोरेशन ऐसे सरकारी विभागों/ सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों के ई-प्रापण समाधान के लिए खरीद, संस्थापन और कार्यान्वयन के लिए "मुहरबंद कोटेशन " आमंत्रित करता है, जो आरईसी की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करते हों और एकीकृत तरीके से कारपोरेशन की ओर से संपूर्ण सेवाएं उपलब्ध/ प्रदान करते हों ताकि आरईसी के प्रयोक्ता और उससे बाहर के लोग इसका उपयोग कर सकें। विक्रेताओं को अनुबंध-2 में दिए गए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली फार्मेट में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा। कार्य के विनिर्देश और कार्यक्षेत्र और अन्य शर्तें अनुबंध-1 में दी गई हैं। वित्तीय बोली का फार्मेट अनुबंध-3 में दिया गया है।**

III. **यह बोली, बोली की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि तक विधिमान्य रहेगी।**

IV. बोलीदाता को चाहिए कि वह कार्य के क्षेत्र से भली भांति परिचित हो जाए क्योंकि विस्काळ बात की कथित रूप से जानकारी न होने के आधार पर किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। टेंडर मूल रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और उनमें कोई परिवर्धन, परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वे उसमें दिए गए अन्य खंडों में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे। अपेक्षित विवरण आवश्यक होने पर टेंडर दस्तावेज में बोलीदाता द्वारा दिए जाएंगे। बोलीदाता को टेंडर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे।

V. बोलियों को दो भागों में भेजा जाएगा - एक मुहरबंद लिफाफे में अनुबंध-2 में दिए गए फार्मेट में विवरण देते हुए "तकनीकी-वाणिज्यिक बोली " लिखा जाएगा और और अनुबंध-3 में दिए गए फार्मेट में दूसरे मुहरबंद लिफाफे में "वित्तीय बोली " लिखा जाएगा। उपर्युव्त दोनो लिफाफों को एक अन्य मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा, जिसके ऊपर "ई-प्रापण समाधान के लिए खरीद, संस्थापन और कार्यान्वयन हेतु कोटेशन " लिखा जाएगा। इन बोलियों पर बोलीदाता फर्म की ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यव्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इन्हें निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा।:

श्री पी.के. मुखोपाध्याय,
उप महानिदेशक (आईटी/ईआरपी),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003

VI. मुहरबंद बोलियां 7 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक आरईसी में प्राप्त की जाएंगी। निर्धारित समय-सीमा के बाद विस्काळ बोली पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही उसकी दरें कुछ भी हों। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां बोलीदाताओं के उपस्थित प्रतिनिधियों के सामने उसी दिन 2.30 बजे अपराह्न में खोली जाएंगी। केवल तकनीकी रूप से अर्हक फर्मों की वित्तीय बोलियां खोलने पर विचार किया जाएगा। जो फर्म निर्धारित तकनीकी-वाणिज्यिक मापदंडों को पूरा करती हों, उनकी वित्तीय बोलियां खोलने की तारीख अलग से सूचित की जाएगी।

ख. दरें और कीमत

I. बोलीदाता अनुबंध-3 में दिए गए फार्मेट में दरों का उल्लेख करेगा। अपूर्ण बोलियों को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। टेंडर संबंधी कागज-पत्रों की प्रविष्टियों में सभी शुद्धियों और परिवर्तनों पर बोलीदाता द्वारा तारीख सहित पूरे हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस संबंध में मिटाने या लिखे हुए पर लिखने की अनुमति नहीं है।

II. सभी सांविधिक सरकारी शुल्क और करों की अदायगी किए जाने का स्पष्ट उल्लेख हो। उल्लिखित कीमत पक्की होगी और इस प्रस्तावक विधिमान्यता की अवधि के दौरान दरों, कीमतों और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

III. कोई अतिरिक्त भाड़ा या अन्य प्रभार आदि देय नहीं होंगे।

ग. संविदा समाप्त करना

यदि सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो आरईसी को यह अधिकार है कि वह एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय संविदा को समाप्त कर सकता है। आरईसी को यह भी अधिकार है कि वह बोलीदाता की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर किसी अन्य एजेंसी को संविदा सौंप सकता है और इस संबंध में होने वाला अतिरिक्त व्यय आरईसी द्वारा प्रतिभूति जमा या लंबित बिल से या अलग से दावा करके वसूल किया जाएगा।

घ. सुलह-सफाई/मध्यस्थता

I. यदि पक्षकारों के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद पैदा होता है, तो पक्षकार इसका सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए बातचीत करेंगे और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा नामित समिति के माध्यम से इसका निपटान करेंगे।

II. यदि एक पक्षकार से नोटिस प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अंदर पक्षकारों के बीच कोई सौहार्दपूर्ण समाधान या समझौता नहीं होता तो उपर्युक्त विवादों या मतभेदों को

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्‌वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा और उसके द्‌वारा इसका निपटान किया जाएगा।

III. माध्यस्थम के लिए भेजे जाने वाले किसी विवाद या मतभेद और/या संदर्भ के विद्‌यमान रहने के बावजूद ठेकेदार संविदा के अधीन पूरे परिश्रम से कार्य-निष्पादन में बाधा डाले बिना कार्‌य करता रहेगा और व्यावसायिक तरीके से इसे तत्परता से पूरा करेगा और ठेकेदार को देय रकम इस आधार पर तब तक नहीं रोकी जाएगी कि ऐसे मतभेद के संबंध में मध्यस्थम की कार्रवाई चल रही हो, जब तक ऐसी अदायगी ही मध्यस्थम का विषय न हो।

IV. मध्यस्थम की कार्रवाई विद्‌यमान मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 और यथासंशोधित भारतीय कानूनों या समय-समय पर बनाए गए अधिनियमों के अनुसार की जाएगी।

V. मध्यस्थम का स्थान, नई दिल्ली, भारत होगा। मध्यस्थ का शुल्क और अन्य प्रभार इस अधिनियम के अनुसार मध्यस्थ द्‌वारा निर्धारित किए जाएंगे और उन्हें दोनों पक्षकारों द्‌वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।

VI. मध्यस्थ आख्यापक और सकारण निर्णय देगा। पक्षकार मध्यस्थता की कार्रवाई के दौरान इस लंबित अवधि के लिए ब्याज के हकदार नहीं होंगे।

ड. अपरिहार्य घटना

I. यदि इस संविदा के अधीन निष्पादित किए जाने वाले विस्काळ दायित्व को पूरा करने में कोई भी पक्षकार अपरिहार्य घटना के कारण असमर्थ होता है तो ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण जिस पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, उसके दायित्व तब तक निलंबित रहेंगे जब तक इस प्रकार के कारण बने रहते हैं।

अनुबंध- I

आरईसी में ई-प्रापण समाधान के लिए खरीद, संस्थापन और कार्यान्वयन

कार्य का क्षेत्र

कार्य का क्षेत्र आरईसी की अपेक्षाओं के अनुसार होगा और इस समाधान के कार्यान्वयन में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:-

I. विक्रेता का पंजीकरण

II. टेंडर जारी करना, जिसमें ई-टेंडरिंग पोर्टल और वेबसाइट में टेंडर सूचना डालना भी शामिल है।

III. टेंडरों की प्राप्ति।

IV. टेंडर खोलना

V. पात्रता, तकनीकी और वित्तीय बोली का तुलनात्मक विवरण तैयार करना।

VI. टेंडर का मूल्यांकन।

VII. अवार्ड पत्र तैयार करना।

VIII. ई-टेंडरिंग के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।

IX. सॉफ्टवेयर और सेवाओं के सुचारु अनुरक्षण में सहयोग देना।

X. कॉरपोरेशन में ईआरपी, कार्यान्वयन के लिए विद्यमान ओरेकल ई-बिज़ सहित एकीकृत ई-प्रापण समाधान का प्रस्ताव। सभी आंचलिक/ परियोजना कार्यालयों और कारपोरेट कार्यालय को एमपीएलएस-वीपीएन क्लाउड ऑफ एयरटेल और डेटा केंद्र से जोड़ना ताकि मोहन कोप-आपरेटिव, नजदीक सरिता विहार, नई दिल्ली में एयरटेल डेटासेंटर ईआरपी में कोलोकेट किया जा सके।

XI. विक्रेता आरईसी के ई-प्रापण पोर्टल में सूचना डालने के लिए जिम्मेदार होगा।

XII. **विक्रेता को अपलोडिंग के क्रियाकलाप और यथापेक्षित डेटा प्रविष्टि से संबंधित क्रियाकलाप करने होंगे।**

XIII. **विक्रेता परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर कॉरपोरेशन द्वारा अपेक्षित हैंड होल्डिंग सहायता देगा।**

XIV. **विक्रेता को सहायक मैनुअल और सीडी आदि भी देनी होगी।**

XV. **उसे उत्पाद के अनुपालन (अनुबंध- II)की क्रम संख्या 1 से 29 में दी गई अपेक्षाओं में सहायता देनी होगी और उनका अनुपालन करना होगा।**

(आरईसी के ई-टेंडर के लिए कृपया आरईसी की वेबसाइट 'recindia.nic.in. देखें। इनकी वार्षिक संख्या लगभग 25 होगी, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए होगी।)

परियोजना अनुसूची

क्. सं.	कार्य की मद	अनुसूची (टी = आरंभ की तारीख
1.	परियोजना की शुरुआत और परियोजना की योजना प्रस्तुत करना	टी+2
2.	आरईसी की अपेक्षाओं के अनुसार इसे अंतिम रूप देना और आरईसी द्वारा उसका सत्यापन तथा पोर्टल का विकास	टी+20
3.	वेबसाइट में डालना और आरईसी के दिल्ली कार्यालय में एक बार प्रशिक्षण	टी+30

II. **'अपरिहार्य घटना' शब्द में दैवी घटनाएं, युद्ध, नागरिक उपद्रव, अग्नि आदि शामिल हैं, जिनका संविदा के कार्य-निष्पादन पर सीधे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इसके अलावा बाढ़, और दोनों पक्षकारों, यथा आरईसी और ठेकेदार के अधिनियम और नियम।**

III. **ऐसी घटना घटने पर या घट जाने के बाद पक्षकार इस बात को स्वीकार करेंगे कि उपर्युक्त के कारण कार्य करना असंभव था और वे आपस में एक-दूसरे पक्षकार को इसकी सूचना देंगे। अपरिहार्य घटना के शुरू होने से उसके पूरा होने तक पक्षकार**

क्रमशः 72 घंटे के अंदर एक-दूसरे को सूचित करेंगे। यदि अपरिहार्य घटना के कारण दो माह से अधिक समय तक कार्य निलंबित रहे हों, तो आरईसी के पास यह विकल्प होगा कि वह इस संविदा को पूर्णतः या अंशतः अपने विवेक से रद्द कर सकता है और इसके कारण उसकी कोई देयता नहीं होगी।

IV. अपरिहार्य घटना के कारण संबंधित दायित्वों को निलंबित करने से कार्य-निष्पादन का समय उस अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जब तक वह कारण समाप्त नहीं हो जाता।

च. लागू कानून और क्षेत्राधिकार

इस संविदा से संबंधित सभी मामलों पर तत्समय लागू सारवान और प्रक्रियात्मक भारतीय कानून लागू होंगे और वे केवल दिल्ली में स्थित भारतीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

छ. कोई वैकल्पिक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ज. आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह संविदा अवार्ड करने से पूर्व विस्काळ भी समय बोली प्रक्रिया रद कर सकता है, जिसमें कोई या सभी बोलियां नामंजूर करना शामिल हैं, जो उसके बाद प्राप्त हुई हों और इसके कारण बोलीदाता पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव या आरईसी की कार्रवाई के कारण बोलीदाता को मिली प्रतिकूल सूचना के दायित्व पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा।

झ. आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह विस्काळ भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है या विस्काळ भी समय बोली प्रक्रिया को रद्द कर सकता है या बिना विस्काळ देयता को खर्च किए आर्डर देने से पहले विस्काळ भी समय सभी बोलियों को रद्द कर सकता है।

अवार्ड पत्र दिए जाने के बाद ठेकेदार को टेंडर दस्तावेजों में दी गई शर्तों के अनुसार आरईसी के साथ संविदा निष्पादित करनी होगी।

परिसमाप्त क्षति

इस संविदा में समय महत्त्वपूर्ण है। यदि करार/ संविदा की शर्तों के कार्य-निष्पादन में विलंब होता है तो प्रति सप्ताह आदेश के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से परिसमाप्त क्षति वसूल की जाएगी, लेकिन यह आदेश के मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आरईसीएल के पास यह विकल्प होगा कि वह खरीद आदेश को रद्द कर सकता है और आरईसीएल को प्रस्तुत कार्य-निष्पादन गारंटी की रकम वसूली कर सकता है।

अदायगी की शर्तें

I. **एकबारगी प्रभार (यदि कोई हों) का 50 प्रतिशत वेबसाइट पर सूचना डालने/ ई-टेंडरिंग पोर्टल प्रचालित करने, आरईसी के मापदंडों के अनुसार इसे उनके अनुकूल बनाए जाने का सत्यापन किए जाने के बाद।**

II. **प्रशिक्षण पूरा होने और आरईसी के दिल्ली कार्यालय में टेंडर को वेबसाइट पर डालने पर एकबारगी प्रभारों का 40 प्रतिशत।**

III. **शेष 10 प्रतिशत की अदायगी परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने और उप-महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी), आरईसीएल, कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा प्रमाण-पत्र देने पर की जाएगी।**

वारंटी अवधि के दौरान सहायता

एक वर्ष की वारंटी अवधि के दौरान आरईसी द्वारा अपेक्षित आवश्यक कार्यस्थल सेवा/ अनुरक्षण, उन्नयन और समर्थन तथा अन्य सहायता और समर्थन भी विक्रेता द्वारा दिए जाएंगे।

अन्य शर्तें

I. **वारंटी अवधि के दौरान, यदि आवश्यक हो, तो विक्रेता द्वारा सॉफ्टवेयर में संशोधन किए जाएंगे, अर्थात बग का करेक्शन और परिवर्तन, जो बिना अतिरिक्त लागत के विनिर्देशों की सीमा तक करने होंगे।**

II. **सभी प्रशिक्षण आरईसी के दिल्ली कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। इसमें प्रतिभागियों की संख्या लगभग 50-60 होगी। यह प्रशिक्षण बैचों में आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागियों और बैचों की सही संख्या विक्रेता को सूचित की जाएगी। विक्रेता**

को सभी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था करनी होगी। यदि आंचलिक कार्यालय/ परियोजना कार्यालय में प्रशिक्षण देना आवश्यक हो तो विक्रेता के साथ परस्पर तय किए गए मापदंडों के अनुसार आरईसी द्वारा कार्यस्थल पर अतिरिव्त प्रभार अदा किए जाएंगे।

III. **हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रणाली, सॉफ्टवेयर का प्रयोग, इंटरनेट की संयोज्यता, सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े हार्डवेयर की सुरक्षा विक्रेता द्वारा मुहैया कराई जाएगी। विक्रेता को परियोजना के गोपनीय खंडों का पालन करने के लिए सहमत होना होगा।**

IV. **आरईसीएल इंटरनेट कनेक्शन और अपेक्षित पीसी, प्रिंटर, स्कैनर और बैक-अप के लिए यूपीएस की सुविधा के लिए विक्रेता को कार्यालय में जगह देनी होगी।**

V. **आंकड़ों की सभी प्रविष्टियां हमारे दिल्ली कार्यालय में की जाएंगी।**

VI. **विक्रेता को इस परियोजना के कार्य-निष्पादन के लिए करार करना होगा।**

VII. **सभी अपलोडिंग क्रियाकलाप दिल्ली कार्यालय में किए जाएंगे।**

VIII. **होस्टिंग का कार्य विक्रेता द्वारा किया जाएगा।**

IX. **क्रय आदेश स्वीकार किए जाने की तारीख से एक महीने के अंदर विक्रेता को संपूर्ण प्रणालियों को शुरू करना होगा। आरईसी के कारण हुए विलंब को परियोजना के समापन की समय-सीमा में नहीं गिना जाएगा। ध्**

X. **कर और लेवी भारत सरकार के कानूनी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे।**

XI. **सफल बोलीदाताओं को संलग्न अनुबंध-4 में दिए गए कार्य-निष्पादन गारंटी के फार्मेट के अनुसार आदेश दिए जाने के 15 दिन के अंदर आदेश के मूल्य के 15 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से प्रस्तुत करनी होगी। कार्य-निष्पादन गारंटी वारंटी अवधि + 3 माह तक विधिमान्य होगी।**

XII. **यदि बोलीदाता संविदा के अनुसार सेवाएं मुहैया कराने में असमर्थ रहता है तो आरईसी विस्काळ भी समय यह संविदा समाप्त कर सकता है। ऐसे मामले में यदि बोलीदाता द्वारा निष्पादित कार्य के कारण बोलीदाता को कोई रकम देय हो तो यह**

रकम उसे संविदा के प्रावधानों के अनुसार प्राप्य वसूलियों के बाद की जाएगी और कार्य को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बोलीदाता की लागत और जोखिम पर किया जाएगा जिसके बाद देय राशि का भुगतान किया जाएगा। चुने हुए बोलीदाताओं को सेवा समाप्त करने से पहले कम से कम एक सप्ताह नोटिस दिया जाएगा।

XIII. अपेक्षित सेवाओं में किसी असामान्य विलंब के कारण आरईसी अपने विवेक से यह संविदा समाप्त कर सकता है।

XIV. चुना गया विक्रेता ऐसी सामान्य स्वीकृत तकनीकों और परिपाटियों के अनुसार संविदा के अधीन परिश्रम और दक्षता से अपनी सेवाओं और दायित्वों का कार्य-निष्पादन करेगा, जो उद्योगों में व्यावसायिक इंजीनियरी और प्रशिक्षण/ परामर्शी मानकों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक निकायों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं और वह उचित प्रबंधन तकनीक तथा इंजीनियरी परिपाटियों का भी पालन करेगा। वह समुचित उन्नत प्रौद्योगिकी और सुरक्षा तथा प्रभावी उपस्कर, मशीनरी, सामग्री और पद्धतियों का उपयोग करेगा। विक्रेता इस संविदा से संबंधित विस्काळ भी मामले में आरईसी को निष्ठापूर्वक सलाह देगा और अन्य पक्षकारों के साथ व्यवहार करते समय आरईसी के विधिमान्य हितों में हमेशा सहयोग देगा और उनकी सुरक्षा करेगा।

मूल्यांकन को मापदंड

बोलियों का मूल्यांकन अनुबंध-3 में उल्लिखित वित्तीय प्रोफार्मा में विक्रेता द्वारा उल्लिखित कुल प्रभारों के आधार पर एल-1 विक्रेता के रूप में किया जाएगा। उल्लिखित कुल कीमत में सभी कर और तत्समय लागू सभी कर और शुल्क शामिल होंगे। कृपया नोट करें कि यदि विक्रेता द्वारा गणना या जोड़ में कोई गलती की जाती है तो उसे ठीक किया जाएगा और मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए सही आंकड़ों पर विचार किया जाएगा।

अनुबंध-II

आरईसी में ई-प्रापण समाधान के लिए खरीद संस्थापन और कार्यान्वयन

तकनीकी अपेक्षाएं

<u>उत्पाद का नाम</u> :

उत्पाद के बारे में संक्षेप (लगभग 100 शब्दों में) में बताएं

I) सरकार/ सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों में संस्थापन की संख्या (कृपया संगठनों की सूची संलग्न करें) :

(इनमें से कम से कम दो ई-प्रापण संस्थापन होने चाहिए, कृपया समर्थनकारी दस्तावेज़ संलग्न करें)

II) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए टेंडर (i) संख्या .... (ii) मूल्य ....

(इनमें से कम से कम 50 टेंडर ऐसे होने चाहिएं, जो कम से कम पांच करोड़ रुपए के हों, कृपया समर्थनकारी दस्तावेज़ संलग्न करें)

उत्पाद का अनुपालन

ई-प्रापण प्रणाली में निम्नलिखित कार्य प्रक्रिया का समर्थन (भले ही वे इतने तक सीमित न हों) होना चाहिए:

क्रम सं.	मुख्य-मुख्य समर्थन (मुख्य-मुख्य विशेषताओं के समर्थन में, यदि आवश्यक हो, तो अलग शीट में विवरण संलग्न करें - जो बोलीदाता क्रम सं.1 से 29 में दी गई शर्तों को पूरा न करते हों, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।)	उत्पाद अनुपालन (हां या नहीं लिखें)
1.	आपूर्तिकर्ता/विक्रेता गतिशील पंजीकरण और डेटाबेस का निर्माण	

2.	ग्राहक संगठन और आंतरिक प्रयोक्ता का नामांकन, प्रशासनिक कार्य जैसे भूमिका की परिभाषा और समनुदेशन, वित्तीय शक्तियां आदि	
3.	मांग-पत्र तैयार करना और अनुमोदन	
4.	टेंडर तैयार करना, अनुमोदन और प्रकाशन	
5.	एकल, सीमित और खुले टेंडरों का समर्थन	
6.	एकल बोली और दो बोली प्रणाली	
7.	वैश्विक टेंडर	
8.	शुद्धि-पत्र का प्रकाशन	
9.	आटोमेटिक, कंपेरेटिव विश्लेषण तैयार करना (तकनीकी और वित्तीय)	
10.	टेंडर जारी करना	
11.	क्रय आदेश	
12.	बहु-भाग और बहु-चरणों वाली बोली को प्रस्तुत करने की सुविधा	
13.	बोली प्रस्तुत करने के लिए मापदंड तय करना	
14.	इलेक्ट्रोनिक इंसक्रिप्शन से बोली तैयार करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना और उसे प्रस्तुत करना	
15.	टेंडर की पॉलिसी और क्रेता संगठन के नियमों के अनुसार समय रसीद सहित बोली की ऑनलाइन रसीद। ऑफलाइन बोली प्राप्त करने का समर्थन	
16.	टाइम लॉक्ड इलेक्ट्रोनिक टेंडर बॉक्स में बोली रखना	
17.	पब्लिक ऑनलाइन टेंडर खोलना और मैनुअल टेंडर खोलना	
18.	वित्तीय/ तकनीकी बोली को पुनः तैयार करने और उसमें सुधार करने की सुविधा	
19.	अग्रिम धन जमा/बोली की रकम आदि की गेट-वे अदायगी करना	
20.	टेंडर ट्रैकिंग, टेंडर सर्च, ई-मेल अलर्ट जैसी विशेषताएं	
21.	एमएस वर्ड/एक्सेल फाइल से अपलोड और डाउनलोड करना	
22.	द्विभाषा समर्थन (अंग्रेजी और हिंदी)	
23.	प्रयोक्ता की लॉगिन और अधिप्रमाणन से संबंधित समर्थनकारी	

	सुरक्षा विशेषताएं	
24.	प्रलेख और सुरक्षा विशेषताओं का मौजूद होना और प्रयोग	
25.	आरईसीएल की विद्यमान ईआरपी प्रणाली से एकीकरण (ऑरेकल इबिज सूइट)	
26.	उत्पाद का स्वतंत्र प्लेटफार्म (उत्पाद के समर्थन और वास्तुशास्त्र के बारे में विवरण संलग्न करें)	
27.	एसटीक्यूसी या सीईआरटी द्वारा अनुमोदित लिखित परीक्षा में विधिवत लेखा-परीक्षित उत्पाद (इस संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
28.	पीकेआई सक्षम उत्पाद अर्थात मानक प्रौद्योगिकी अनुसार एनक्रिप्टिड और डिस्क्रिप्शन	
29.	सपोर्ट एसएसएल एनक्रिप्शन	
30.	जनरेट सिस्टम लॉग और आडिट ट्रेल	
31.	एमआईएस रिपोर्ट (ऐसी रिपोर्टों की सूची संलग्न करें, जिन्हें तैयार किया जा सकता है)	
32.	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	

अनुबंध-III

आरईसी में ई-प्रापण समाधान के लिए खरीद संस्थापन और कार्यान्वयन
वित्तीय दरें

क्रम सं.	मद	करों* और शुल्कों सहित कीमत
1.	**सॉफ्टवेयर को अनुकूल बनाने सहित सॉफ्टवेयर की लागत**	
2.	**डोमेन और होस्टिंग तैयार करना**	
3.	**प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग**	
4.	**वारंटी अवधि के दौरान एक वर्ष तक समर्थन**	
5.	**कोई अन्य प्रभार (कृपया उल्लेख करें)**	
	कुल प्रभार	
जोड़ (शब्दों में) रुपए		
	कृपया जोड़ें 1. **ई-टेंडरिंग पोर्टल के होस्टिंग और सुचारु संचालन के लिए सर्वर, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की सुरक्षा और इंटरनेट संयोज्यता प्रभार।**	
	2. **एक वर्ष की वारंटी के बाद वार्षिक अनुरक्षण प्रभार (जो तीन वर्ष तक विधिमान्य होंगे)**	

*** तत्समय लागू सभी सरकारी कर, समय-समय पर करों में कोई घट-बढ़ होने से उन्हें वास्तविक आधार पर अदा किया जाएगा।**

प्रमाणित किया जाता है कि ये कीमतें कार्य क्षेत्र, तकनीकी विवरण और संलग्न अन्य शर्तों को ध्यान में रखने के बाद दी गई हैं और इनमें विस्काळ प्रकार/ किसी तरह आदि से कोई विचलन नहीं किया जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर

अनुबंध-IV

बैंक द्वारा कार्य-निष्पादन प्रतिभूति (गारंटी)

सेवा में,

...,

...,

...

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली-110 003 (जिसे इसमें इसके बाद आरईसीएल कहा जाएगा, जिस शब्दावली में उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी शामिल हैं) द्वारा मैसर्स .... को (जिसे इसमें इसके बाद आपूर्तिकर्ता कहा जाएगा, जिस शब्दावली में जब तक प्रसंग में अपेक्षित न हो, इसके उत्तरवर्ती और समनुदेशी भी शामिल हैं) को आरईसी के पत्र संख्या .... दिनांक ....में दी गई शर्तों के साथ-साथ और संविदा की सामान्य शर्तों पर .... कार्य (जिसे इसमें इसके बाद संविदा कहा जाएगा) सौंपे जाने पर विचार करते हुए, उव्त संविदा के अधीन और के संबंध में बोलीदाता की देयता के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति के रूप में उव्त संविदा की कुल रकम के 15 प्रतिशत के बराबर धनराशि की गारंटी देते हैं।

1. **हम .... (जिन्हें इसमें इसके बाद बैंक या उव्त बैंक कहा जाएगा) और जिनका पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है, संयुव्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से यह गारंटी देते हैं कि हम लिखित रूप में मांग करने पर आरईसी को तत्काल रुपयों में अदायगी करेंगे। उव्त संविदा के संबंध में बोलीदाता द्वारा आरईसीएल को उचित रूप से देय सभी रकम को बिना किसी विरोध या विलंब के अदा करेंगे। इसमें आरईसीएल को हुई हानियां और नुकसान और लागत (जिसमें अटार्नी और ग्राहक के बीच), प्रभार और व्यय और आरईसीएल द्वारा बैंक से की गई**

मांग के नोटिस में विनिर्दिष्ट उक्त संविदा के संबंध में सभी देय रकम भी शामिल है, जो .... रुपए तक सीमित होगी।

2. **.., हम इस बात के लिए भी सहमत हैं कि एकमात्र आरईसीएल इस बात का निर्णय करने के लिए हकदार होगा कि उक्त संविदा की किसी शर्त का उक्त बोलीदाता ने उल्लंघन किया है या नहीं और उसके कारण आरईसीएल को कितनी हानि, नुकसान हुआ है या प्रभार या व्यय करना पड़ा है। आरईसीएल का यह निर्णय अंतिम और हम पर आबद्धकर होगा कि बोलीदाता के उल्लंघन किए जाने के कारण आरईसीएल को समय-समय पर कितनी रकम की हानि, नुकसान हुआ है, उसे कितनी लागत, प्रभार और व्यय करना पड़ा है।**

3. **आरईसीएल को इस बात की पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह बैंक को सूचित किए बिना इस गारंटी के अधीन उक्त बैंक की किसी प्रकार की देयता को प्रभावित किए बिना आपूर्ति के दायित्व और उसके अधीन आने वाले दायित्व के संबंध में अन्य प्रतिभूति भी ले सकता है या परामर्शदाता के अनुसार उसके अधीन इस संविदा/ कार्य में घट-बढ़ कर सकता है या संविदा के कुल मूल्य में घट-बढ़ कर सकता है या अन्य प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के सभी या किसी लागू देयता को जारी कर सकता है या छोड़ सकता है, जो आरईसीएल द्वारा अब या कभी धारित की गई हो। बोलीदाता के साथ की गई ऐसी व्यवस्था या उसे जारी करने या छोड़ने के संबंध में आरईसीएल द्वारा बैंक पर पूरी जिम्मेदारी डाली जाएगी और इसके कारण आरईसीएल का कोई अधिकार प्रभावित नहीं होगा।**

4. **यह गारंटी बोलीदाता के परिसमापन या कार्य बंद कर दिए जाने, समाप्त हो जाने या उसके गठन में परिवर्तन होने या दिवालियापन होने की स्थिति में बनी रहेगी या इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा अपितु इसके अधीन आरईसीएल को देय सभी धनराशि अदा किए जाने तक सभी प्रकार से और सभी प्रयोजनों के लिए आबद्धकर रहेगी।**

5. **बैंक किसी भी समय ऐसे अधिकार छोड़ देगा, जो इस गारंटी की शर्तों के विपरीत हों और इसके अनुसार बैंक के दायित्वों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या ऐसे किसी अथवा किन्हीं विवादों के कारण ये दायित्व निलंबित नहीं होंगे, जो**

बोलीदाता द्वारा उठाए गए हों (भले ही वे अध्यक्ष, न्यायाधिकरण या न्यायालय के पास लंबित पड़े हों या नहीं) या इसकी शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा आरईसीएल को की जाने वाली अदायगी पर इससे कोई विराम या रोक नहीं लगेगी।

6. आरईसीएल द्वारा बैंक को भेजे गए मांग के किसी नोटिस में उल्लिखित रकम, जो बोलीदाता द्वारा आरईसीएल को अदा की जानी हो या आरईसीएल को हानि, नुकसान, लागत प्रभार और व्यय के कारण हुई क्षति या उसके द्वारा खर्च की गई रकम इसका अंतिम साधन होगा, जो यथास्थिति आरईसीएल को अदा की जाने वाली रकम या आरईसीएल को हुई क्षति या उसके द्वारा खर्च की गई रकम या उसके रूप में होगी।

7. यह गारंटी/ वचनबद्धता सतत गारंटी/ वचनबद्धता होगी और आरईसीएल के दावों और बोलीदाता के दायित्व के संबंध में दिनांक ....तक और उसकी आधी रात तक विधिमान्य और जारी रहेगी।

8. यह गारंटी/ वचनबद्धता ऐसी अन्य किसी गारंटी या प्रतिभूति के अतिरिक्त होगी, जो आरईसीएल उक्त संविदा के अधीन और/ या के संबंध में आपूर्तिकर्ता के दायित्वों या देयताओं के बारे में इस समय या किसी भी समय कर सकता है। आरईसीएल को यह पूरा प्राधिकार होगा कि वह ऐसी किसी अन्य गारंटी या प्रतिभूति के स्थान पर इस प्रतिभूति को अपनाए या लागू करे, जो आरईसीएल के पास हों या जिसे वह प्राप्त करे और आरईसीएल पर इस बात के लिए रोक नहीं होगी कि वह किसी अन्य प्रतिभूति को लागू करे या लागू करना चाहे। इससे इसके अधीन बैंक की पूरी देयता बनी रहेगी।

9. आरईसीएल के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह बैंक के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले उक्त बोलीदाता के खिलाफ कार्यवाही करे और इसमें की गई बैंक गारंटी बैंक के प्रति लागू होगी, भले ही आरईसीएल द्वारा बोलीदाता से प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति उस समय बाकी हो या प्राप्त की जानी हो, जब इस संविदा के अधीन उक्त बैंक के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

10. हम उक्त बैंक यह वचन देते हैं कि आरईसीएल द्वारा लिखित रूप में दी गई सहमति के सिवाय इसके संविदा के जारी रहने की अवधि के दौरान इसे रद्द नहीं करेंगे और

इस बात के लिए सहमति व्यक्त करते हैं कि उक्त बोलीदाता या बैंक के गठन में किसी परिवर्तन के कारण इसके अधीन हम अपनी देयता से मुक्त नहीं हो जाएंगे।

11. ऊपर दी गई किसी बात के होते हुए, इस गारंटी के अधीन हमारी देयता रुपए... तक सीमित होगी और यह गारंटी उस तारीख को अर्थात इस गारंटी के अधीन सभी दावे दिनांक .... से पूर्व की तारीख से .... माह के अंदर हमसे जब तक दावा नहीं किया जाएगा या इसके अधीन जब तक हमें हमारे दायित्वों से मुक्त नहीं कर दिया जाता, पूरी तरह लागू रहेगी।

दिनांक ....बैंक का नाम :

पता :

दिनांक